प्रेस नोट **16/08/2024**

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्वेक्षण व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के नेतृत्व मे आज दिनांक 16.08.2024 को थाना रामपुर पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बेलथरा रोड़ रेलवे स्टेशन के पास से मु0अ0सं0 81/24 धारा 376,313,406,323,504,506 भादवि में वांछित अभियुक्त संजय कुमार यादव पुत्र मेठा यादव निवासी सोनाडीह थाना उभांव जनपद बलिया को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभियुक्त संजय कुमार यादव पुत्र मेठा यादव निवासी सोनाडीह थाना उभांव जनपद बलिया।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 लालबहादुर थाना रामपुर मऊ।
2. उ0नि0 सुरेन्द्र नाथ उपाध्याय थाना रामपुर मऊ।
3. का0 अंगद सिंह थाना रामपुर मऊ।

01 वांछित तथा 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.08.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर काछिकला अण्डर पास के पास से मु0अ0सं0 209/24 धारा 352,351(2),64 बीएनएस में वांछित अभियुक्त अजीत राजभर पुत्र संजय राजभर निवासी इटौरा डोरीपुर थाना कोपागंज, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त मुलचन्द पुत्र भागवत निवासी कस्बा थाना दोहरीघाट, मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त इन्द्रासन पुत्र रामबली सिंह निवासी कुलौरा थाना मुहम्मदाबाद, रानीपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त सनिका यादव पुत्र दुधनाथ यादव निवासी महासो थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दुष्कर्म मामले में दोषसिद्ध 01 अभियुक्त 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹20,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 16-08-2024 को मु0अ0सं0 267/2021 धारा 376 भादवि0 थाना हलधरपुर में दोषसिद्ध अभियुक्त मनोज यादव पुत्र अमरजीत यादव निवासी अरदौना थाना हलधरपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 07 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

व ₹20,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री राजेश पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी केश कुमार थाना हलधरपुर का सराहनीय योगदान रहा।

आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को त्रुटि रहित एवं सकुशल सम्पन्न कराये जाने के क्रम में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आज दिनांक 16.08.2024 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के द्वारा पुलिस बल के साथ मऊ नगर क्षेत्र स्थित सोनी धापा खण्डेलवाल बालिका इण्टर कॉलेज का निरीक्षण किया गया इस दौरान परीक्षा से सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाओ के बारे में जायजा लिया गया तथा सीसीटीवी कैमरों एवं शांति/सुरक्षा व्यवस्था से संबन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए सर्वसम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस औसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री, क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर तथा अन्य पुलिस कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रचलित श्रावण मास/आगामी त्यौहारो को लेकर जनपद मऊ में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 16.08.2024 को सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी द्वारा भारी संख्या में जनपदीय पुलिस बल के साथ मऊ नगर क्षेत्र के रोडवेज, हिन्दी भवन आदि स्थानों के भीड़-भाड़ वाले स्थानों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस-पास रूट मार्च/पैदल गस्त कर आम जनमानस में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया गया तथा आस-पास शांति/सुरक्षा व्यवस्था आदि का जायजा लिया गया। साथ ही साथ समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में रुट मार्च/पैदल गस्त कर आम जनमानस में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया जा रहा है तथा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।